प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला – ओ.पी. ए.सी.बी नागौर, थाना – प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर।
   वर्ष– 2023 प्र0इ0रि0 सं. 82/23 दिनांक.. 12/4/2023

2. (I) अधिनियम :– धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018
   (II) अधिनियम .... धारायें ....
   (III) अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ......219...... समय ......5:30 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन – सोमवार, दिनांक 06.02.2023 समय 02.15 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ...03.02.2023...समय...... 05.19 पी.एम.......

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– नगर पालिका मेड़ता सिटी, जिला नागौर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बजानिब दक्षिण करीब 80 कि.मी.
   (ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं...
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6. (i) परिवादी :–
   (अ) नाम – श्री राजेश वैष्णव
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री बाबूलाल वैष्णव
   (स) जन्म तिथी– उम्र – 34 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय – एजेण्ट बीमा कम्पनी
   (ल) पता – निवासी डी–161, गांधी नगर कॉलोनी, मेड़ता सिटी, जिला नागौर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
   1. श्री अनिल पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति जाट, उम्र 29 वर्ष, निवासी राम हॉस्पीटल के पास, जय श्री कॉलोनी, मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक, नगर पालिका मण्डल, मेड़ता सिटी, जिला नागौर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..............
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).
   ....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य – 20,000/– रूपये रिश्वत की मांग
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

निवेदन है कि दिनांक 03.02.2023 को वक्त 05.17 पी.एम. पर ब्यूरो मुख्यालय (1064 हेल्प लाईन) से जरीये फोन नम्बर 01412712263 मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई के मोबाईल नम्बर 9414420120 पर फोन कर बताया कि परिवादी श्री राजेश वैष्णव ने मोबाईल नम्बर 9460271799 से हेल्पलाईन नम्बर 1064 पर रिश्वत मांगने से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई गई है। अतः आप परिवादी से उपरोक्त मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करें। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा एसीबी हेल्प लाईन 1064 के निर्देशानुसार परिवादी श्री राजेश वैष्णव के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मैं इन्श्योरेंस कम्पनी का एजेण्ट हूं। मेरे द्वारा नगर पालिका मेड़ता सिटी में कचरा ढोने वाली गाड़ियों का इन्श्योरेंस किया था जिसके बिलों का भुगतान करवाने के लिए लिपिक मेरे से 20,000 रूपये की रिश्वत मांग रहा है व बताया कि आज शुक्रवार है। नगर पालिका में शनिवार व रविवार को अवकाश होने के कारण लिपिक से वार्ता सोमवार को ही हो पायेगी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने

परिवादी को एसीबी कार्यालय नागौर आने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि मेरे घर पर निजी कार्य होने से मैं नागौर आने में असमर्थ हूं जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पूछताछ कर दिनांक 06.02.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कानि0 श्री नेमीचन्द को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर भिजवाने का बताया जाकर समझाईश की गई कि आप नगर पालिका मेड़ता सिटी में जाकर संबंधित लिपिक से सम्पर्क कर अपने कार्य से संबंधित वार्ता कर कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने व रिश्वत राशि की मांग करने पर अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वासन देकर हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 06.02.2023 को वक्त 10.00 ए.एम. पर श्री नेमीचन्द कानि0 नं0 405 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर सुपुर्द करते हुए रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिए परिवादी के मोबाईल नम्बरों व पते से अवगत करवाया जाकर हिदायत दी गई कि परिवादी से सम्पर्क कर लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वती मांग सत्यापन हेतु टेप रिकॉर्डर बन्द चालू करने की विधि समझाईश कर परिवादी को सुपुर्द करें तथा बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुरक्षित लाकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करें। बाद हिदायत कानि0 श्री नेमीचन्द को परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु मेड़ता सिटी की ओर रवाना किया गया। कुछ समय बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री नेमीचन्द कानि0 को जरीये मोबाईल फोन कर पूछा तो बताया कि परिवादी की संबंधित आरोपी लिपिक से बात हो गई है जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है तथा परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक से बात करवाई तो परिवादी ने मन् कानि0 को बताया कि आरोपी अनिल लिपिक से मेरे कार्य के संबंध में बातचीत हो गई है तथा मेरे इन्श्योरेंस बिलों का भुगतान करवाने के लिए 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा कुछ कम ज्यादा कर लेने का कहा है। जिस पर परिवादी को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपयों की व्यवस्था कर चौकी नागौर आने की हिदायत दी गई तो परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि की व्यवस्था मैं कर लूंगा तथा मेरे निजी कार्य होने व दूरी अधिक होने से नागौर आने में असमर्थ हूं। जिस पर परिवादी को सुबह 10.30 ए.एम. पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कस्बा मेड़ता सिटी के बाहर नागौर रोड़ पर पूनियां होटल पर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। वक्त 05.00 पी.एम. पर श्री नेमीचन्द कानि0 तारीख ईमरोजा का गया हुआ उपस्थित चौकी आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय परिवादी श्री राजेश वैष्णव द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर परिवादी द्वारा मोबाईल पर मन् पुलिस निरीक्षक को बताये गये कथनों की ताईद की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत हुआ कि मैं राजेश वैष्णव पुत्र श्री बाबूलाल जी वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 34 वर्ष निवासी D161, गांधी नगर कॉलोनी, मेड़ता सिटी का रहने वाला हूं। मैं IFFCO TOKIO GEN. INS. CO. में एजेण्ट का कार्य करता हूं। मैंने नगर पालिका मेड़ता सिटी में कचरा ढोने वाली गाड़ियों का इश्योरेंस किया था। मेरा इश्योरेंस का बील पास करवाना था जिस पर मैं अनील लिपिक से मिला तो अनील ने बताया कि बील पास करवाने के लिए मुझे 20,000 रूपये देने पड़ेगे नहीं तो बील पास नहीं होगा। लिपिक मेरे जाईज काम के बदले कमीशन के तौर पर 20,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे वाजिब काम के बदले में रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हुं। मेरा अनील से कोई उदार लेन–देन नहीं है तथा ना ही कोई रंजीस है। कानूनी कारवाई करे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकार्ड वार्ता से मामला रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया जाने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आरम्भ की गई। श्री कुमेरदान कानि0 नं0 194 को दो स्वतन्त्र गवाहों की तलबी हेतु सहायक अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल. (शहर) नागौर के नाम की तहरिर देकर कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल. (शहर) नागौर को रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद श्री कुमेरदान कानि0 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री सुभाष चन्द विश्नोई पुत्र श्री मनफूल विश्नोई जाति विश्नोई उम्र 27 वर्ष निवासी शारदा पुरम कॉलोनी, नागौर, जिला नागौर हाल वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.) ए.वी.वी.एन.एल., नागौर व श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति अरोड़ा उम्र 35 वर्ष निवासी गणेशगढ, पुलिस थाना लालगढ जाटान, तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल तकनिकी सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.) ए.वी.वी.एन.एल., नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान से परिचय किया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया गया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये, जिस पर दोनों गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान व समस्त कार्यालय स्टाफ को सुबह 08.30 ए.एम. पर

कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर दोनों गवाहान को रूखसत किया गया। दिनांक 07.02.2023 को पूर्व से पाबंद सुदा कार्यालय हाजा का स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान श्री सुभाष चन्द विश्नोई व श्री प्रवीण कुमार उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। वक्त 09.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुभाष चन्द विश्नोई व श्री प्रवीण कुमार मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48, नेमीचन्द कानि0 405, कुमेरदान कानि0 194, बालाराम कानि0 554, श्री कानाराम कानि0 532 व भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक जरीये सरकारी वाहन मय चालक श्री राजेन्द्र झूरिया कानि. 150 व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु मेड़ता सिटी को रवाना सुदा वक्त 10.30 ए.एम. पर कस्बा मेड़ता सिटी के बाहर नागौर रोड़ स्थित पूनियां होटल पर पहुंची। जहां पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री राजेश वैष्णव उपस्थित मिला। सरकारी व प्राईवेट वाहन को साईड में खड़ा किया गया। उपस्थित परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर होटल के अन्दर कमरे में पहुंचे तथा अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजेश वैष्णव को रिश्वत में दी जानें वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपने पास से 500–500 रूपये के 38 नोट कुल 19,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये। जिस पर ट्रेप दल में शामिल श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक से सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकालकर होटल के कमरे में मंगवाया गया तथा उपर्युक्त सभी नोटों को अखबार पर रखकर प्रक्रिया अनुसार श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक से रिश्वत राशि नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने की प्रक्रिया करवाई जाकर गवाह श्री सुभाष चन्द विश्नोई से परिवादी की तलाशी लिवाई गई तथा श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक से रिश्वत राशि 19,000/– रुपये परिवादी के पहने कोट की बायीं जेब में रखवाये गये तथा गवाहान को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। तत्पश्चात् श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा सुरक्षित सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में वापस रखवाया गया तथा परिवादी को डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑपरेट करने की प्रक्रिया समझाकर रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु उसे सुपुर्द किया गया तथा परिवादी को आरोपी श्री अनिल द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर लेने पर ट्रेपदल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने की हिदायत की गई। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक को भ्र0नि0ब्यूरो, नागौर रवाना किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री राजेश वैष्णव व श्री कानाराम कानि0 को परिवादी की मोटरसाईकिल से आरोपी से मिलकर रिश्वत राशि देने हेतु आगे–आगे रवाना कर उनके पिछे मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुभाष चन्द विश्नोई व श्री प्रवीण कुमार मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि., नेमीचन्द कानि0, कुमेरदान कानि0, बालाराम कानि0 जरीये सरकारी वाहन मय चालक श्री राजेन्द्र झूरिया कानि. व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु पूनियां होटल से रवाना होकर नगर पालिका मेड़ता सिटी के पास पहुंचे, जहां सड़क पर एक साईड में दोनों वाहनों को खड़ा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु कार्यालय नगर पालिका मेड़ता सिटी के अन्दर रवाना कर श्री कानाराम कानि0 को परिवादी के पिछे–पिछे रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए नगर पालिका मेड़ता सिटी के आस–पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करनें लगे। वक्त 12.15 पी. एम. पर परिवादी श्री राजेश वैष्णव ने रिश्वत राशि ग्रहण करने का मुकर्रर ईशारा किये बिना ही मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं कार्यालय नगर पालिका मेड़ता सिटी के अन्दर गया तो आरोपी अपने कक्ष में नहीं मिला तथा आरोपी के कक्ष पर ताला लगा हुआ था। जिस पर मैंने कार्यालय के अन्य कर्मचारियों को पूछा तो बताया कि फील्ड में गये हुए हैं अभी यहां नहीं है। थोड़ी देर बाद में और पता कर लूंगा यदि आरोपी आता है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आरोपी के आने पर सूचित करने व नगर पालिका के आस पास ही रहने की हिदायत की तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेपदल के सदस्यों को साथ लेकर शहर से बाहर अजमेर हाईवे पर वाहनों को खड़ा कर परिवादी की सूचना के इंतजार में मुकीम हुई। वक्त 05.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने

परिवादी के मोबाईल पर फोन कर आरोपी के आने के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी अपने कक्ष में नहीं आया है। सुबह से ही ताला लगा हुआ है। नगर पालिका मण्डल के चैयरमैन, ईओ व काफी स्टाफ उपस्थित नहीं है। शायद उनको कार्यवाही के बारे में भनक लगी है या किसी कार्य से बाहर गये हुए है। अब समय काफी हो चुका है। आरोपी के कार्यालय में आने की संभावना नहीं है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को नागौर रोड़ पर पूनियां होटल पर मिलने के लिए आने की हिदायत दी गई तथा कानि0 श्री कानाराम को भी परिवादी के साथ होटल पर उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर जरीये सरकारी व प्राईवेट वाहन के अजमेर हाईवे से नागौर रोड़ स्थित पूनियां होटल पर पहुंची जहां पर कुछ समय पश्चात परिवादी व श्री कानाराम कानि0 उपस्थित आये। परिवादी ने पूर्व में सुपुर्द किया गया टेप रिकॉर्डर बन्द हालात में पेश किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा चालू कर सुना गया तो कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाया गया। परिवादी ने बताया कि आरोपी उपस्थित नहीं मिलने से मैंने टेप रिकॉर्डर चालू नहीं किया था। परिवादी से आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 19,000 रूपये के फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को गवाह श्री सुभाष चन्द विश्नोई से परिवादी के पहने कोट की बायीं जेब से निकलवाकर कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये गये तथा परिवादी, गवाहान व ट्रेपदल के सदस्यों को लेकर होटल में बने कमरे में पहुंच आगे की कार्यवाही शुरू की गई। वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर लेपटॉप से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की दो डीवीडियां पृथक–पृथक बनवाई गई। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर न्यायालय हेतु तथा वार्ता की दोनों डीवीडियां कागज के लिफाफों में डालकर आरोपी व अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी आरोपी आपसे सम्पर्क करे तो मुझे तुरन्त सूचित करें तथा कल अपने स्तर पर आरोपी का पता लगाये कि कार्यालय में उपस्थित होता है या नहीं। ताबाद परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर सकूनत के लिए रूखस्त किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ट्रेपदल के सदस्यों के जरीये सरकारी व प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स व माल वजह सबूत के पूनियां होटल, मेड़ता सिटी से रवाना होकर एसीबी चौकी नागौर पहुंची तथा अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड सील्ड सुदा न्यायालय हेतु व आरोपी हेतु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक डीवीडी मालखाना प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया तथा कागज के लिफाफे में बन्द रिश्वत राशि नोटों को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप बॉक्स से निकालकर कार्यालय हाजा की आलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा स्वतंत्र गवाहान श्री सुभाष चन्द विश्नोई व श्री प्रवीण कुमार को अपने कार्यालय में उपस्थित रहने तथा अपने मोबाईल फोन चालू स्थिति में रखने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 14.02.2023 को परिवादी श्री राजेश वैष्णव कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं दिनांक 08.02.2023 से ही आरोपी का नगर पालिका मण्डल मेड़ता सिटी में आने का पता कर रहा हूं लेकिन वह अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहा है तथा मेरे द्वारा फोन करने पर फोन भी नहीं उठा रहा है। शायद आरोपी श्री अनिल लिपिक को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है। मैंने मेरे परिवार में भी ट्रेप कार्यवाही के बारे में बता दिया था जिस पर मेरे चाचा श्री छोटूलाल जो वर्तमान में वार्ड पार्षद है, उन्होंने मेरे को ट्रेप कार्यवाही के बारे में मना किया था तथा काफी घरवाले व चाचाजी नाराज हुए थे, शायद मेरे चाचाजी ने आरोपी श्री अनिल लिपिक को मेरे द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बता दिया हो। आरोपी श्री अनिल लिपिक को उक्त ट्रेप कार्यवाही की सम्भवत भनक व शंका हो चुकी है जिससे वह मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करना एवं बातचीत नहीं करना चाहता है और न ही कार्यालय में उपस्थित आ रहा है। अतः परिवादी द्वारा बताये अनुसार उक्त ट्रेप कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रकरण में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि नम्बरी नोटों को परिवादी श्री राजेश वैष्णव द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर प्रस्तुत रिश्वत राशि 19000/– रुपये वापिस सुपुर्द की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री अनिल पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति जाट, उम्र 29 वर्ष, निवासी राम हॉस्पीटल के पास, जय श्री कॉलोनी, मेड़ता सिटी, जिला नागौर

हाल वरिष्ठ सहायक, नगर पालिका मण्डल, मेड़ता सिटी, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री राजेश वैष्णव से उसके द्वारा बतौर एजेण्ट इफको टोकियों फाईनेन्स कम्पनी से इन्श्योरेंस किये गये नगर पालिका मेड़ता सिटी में कचरा ढोने वाली गाड़ियों के इश्योरेंस बिलों का भुगतान करने की एवज में अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 20,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग करना फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 06.02.2023 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री अनिल, वरिष्ठ सहायक, नगर पालिका मण्डल, मेड़ता सिटी, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री राजेश वैष्णव से रिश्वत राशि 20,000/– रुपये की मांग किया जाने पर आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री अनिल पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति जाट, उम्र 29 वर्ष, निवासी राम हॉस्पीटल के पास, जय श्री कॉलोनी, मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक, नगर पालिका मण्डल, मेड़ता सिटी, जिला नागौर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 में अभियोग पंजीबद्व करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीया

(सुशीला विश्नोई)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
नागौर।

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः- भ्रनिब्यूरो/अशा/3/2023/657 दिनांकः- 12.4.2023

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अजमेर।

विषयः-अपराध संख्या 82/2023 विरूद्ध श्री अनिल, वरिष्ठ सहायक, नगर पालिका मण्डल मेड़ता सिटी, जिला नागौर।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त प्रकरण का अनुसंधान ट्रेपकर्ता अधिकारी से न करवाकर अन्य अनुसंधान अधिकारी नियुक्त कर उसके मोबाईल नम्बर से भी मुख्यालय को अवगत कराते हुए प्रकरण का अनुसंधान नियत समय में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित करवायें।

भवदीय,
12/4/23
(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।